[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 30/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2021

सा.का.नि ... (अ). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आशवस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन लगने वाले उतने एकीकृत कर से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट एकीकृत माल और सेवा कर से अधिक है, से, जब वह भारत में आयातित हो, छूट प्रदान करती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	**अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद**	**माल का विवरण**	एकीकृत माल और सेवा कर दर
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	9804	व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन संकेन्द्रक	12%

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2021 तक, जिसमे यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/1/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(गौरव सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार